भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोकसभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3345
21 मार्च, 2023 को उत्तर देने के लिए

ग्रामीण क्षेत्रों में एफपीआई

3345. डॉ. सुभाष रामराव भामरे:
श्री रंजीतसिंह नाईक निम्बालकर:
श्री देवजी पटेल:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों के लाभ के लिए तथा उनके उत्पाद का प्रसंस्करण करने और मूल्य वृद्धि करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (एफपीआई) योजना कार्यान्वित कर रही है ताकि विशेषकर महाराष्ट्र में उनकी आय में भी वृद्धि की जा सके;

(ख) यदि हां, तो ऐसी योजना का ब्यौरा क्या है और आज की तारीख तक उक्त योजना से कितने किसान लाभान्वित हुए हैं, और

(ग) क्या सरकार ने विशेषकर महाराष्ट्र और राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण के लिए कोई दीर्घकालिक योजना तैयार की है;

(घ) क्या सरकार को इस योजना को कार्यान्वित करने में किसी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) सरकार द्वारा देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अन्य कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री प्रहलाद सिंह पटेल)

(क) से (ग): जी हां, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण सहित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के समग्र वृद्धि और विकास के लिए वर्ष 2016-17 से केंद्रीय क्षेत्र अम्ब्रेला योजना- प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) कार्यान्वित कर रहा है और इस प्रकार महाराष्ट्र और राजस्थान राज्य सहित देश भर में किसानों की आय में वृद्धि कर रहा है। पीएमकेएसवाई की घटक योजनाओं के तहत, एमओएफपीआई खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए उद्यमियों को अनुदान सहायता के रूप में ज्यादातर क्रेडिट लिंक्ड वित्तीय सहायता (पूंजी सब्सिडी) प्रदान करता है। पीएमकेएसवाई की घटक योजनाओं के तहत पूरी की गई परियोजनाओं से लगभग 30.67 लाख किसानों को लाभ होने का अनुमान है।

इसके अलावा, आत्मनिर्भर भारत पहल के हिस्से के रूप में, एमओएफपीआई 10,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक पांच वर्षों के दौरान क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी के माध्यम से 2 लाख सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की स्थापना/उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए एक केंद्रीय प्रायोजित योजना-प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना को कार्यान्वित कर रहा है। इसमें से महाराष्ट्र और राजस्थान को क्रमश: कुल 22234 इकाइयां और 7331 इकाइयां आवंटित की गई हैं।

(घ): एमओएफपीआई को इन योजनाओं को कार्यान्वित करने में किसी बड़ी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ रहा है।

(ङ): एमओएफपीआई खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए केंद्रीय क्षेत्र उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) योजना भी कार्यान्वित कर रहा है, जिसका उद्देश्य वैश्विक खाद्य विनिर्माण चैंपियनों के सृजन का समर्थन करना है। यह योजना 10,900 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ वर्ष 2021-22 से 2026-27 तक छह साल की अवधि में कार्यान्वित की जा रही है। इस क्षेत्र को आसान और वहनीय क्रेडिट के लिए, सभी खाद्य और कृषि प्रसंस्करण गतिविधियों को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण के तहत पात्र बनाया गया है और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) में 2000 करोड़ रुपये का एक विशेष कोष स्थापित किया गया है।

*****